

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

न्यायालय अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
संख्या :- 549/2022

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

कुलदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह
गुरप्रेम सिंह पुत्र दर्शन सिंह
हरदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह

जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

वादीगण

बनाम्

बगोकौर उर्फ कुलविन्द्र कौर पुत्री बाबू सिंह
बलजीतकौर पुत्री बाबूसिंह
भिन्द्रकौर उर्फ कुलवीर कौर पुत्री बाबूसिंह
लाभ सिंह पुत्र बाबूसिंह
सुखदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह
साधु सिंह पुत्र करनैल सिंह
परमजीतकौर पत्नी अग्रेंज सिंह

जाति जटसिख साकिन नुकेरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

शाखा प्रबंधक ऑरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स बैंक वर्तमान पीएनबी संगरिया।
शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

डिक्री

प्रतिवादीगण
दिनांक :- 23.12.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वारंते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे
द्वारा श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादी गुरविन्द्र सिंह राजपाल
के सं. 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन
प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 4 एनकेआर-ए खाता संख्या 67/29

1. कुलदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा की कब्जा काशत भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
149/140	23	17/2/0.025 है. 23/0.253 है. 24/2/0.127 है., 25/1/0.228 कुल 0.633 है.

2. गुरप्रेम सिंह, हरदीप सिंह पि.दर्शन सिंह बहिब 0.424 है. सखदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह 0.082 है. जाति
जटसिख सा.नुकेरा की कब्जा काशत भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
149/141	34	4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. गै.मु.खाला, 5/1/0.202, 5/2/0.025 है. गै. मु. खाला, 5/3/0.026 है. गै.मु. खाला कुल रकबा 0.506 है. नहरी मय गै.मु.

3. बगोकौर उर्फ कुलविन्द्र कौर, बलजीतकौर, भिन्द्रकौर उर्फ कुलवीरकौर पुत्रीयां बाबूसिंह 3/4 हि. लाभ सिंह
पुत्र बाबूसिंह 1/4 हि.जाति जटसिख निवासी नुकेरा की कब्जा काशत भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
149/141	34	3/1/0.228 है. 3/2/0.025 है. कुल रकबा 0.253 है. नहरी मय गै.मु.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया
की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1511 दिनांक 18.11.2024 द्वारा प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्तर्गत
का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज... मुब्लिक... बाबत... खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना... की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक... को अदा करे।
बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में जारी
किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया